भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 959

(जिसका उत्तर मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स की कार्य प्रणाली

959. श्री अनिल माधव दवे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स देश में पूर्ण रूप से कार्य कर रही है;

(ख) क्या सरकार देश भर में इसके केन्द्र खोलने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके प्रारंभ से ऐसा कोई उल्लेखनीय विकास हुआ है जिसने इसके उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा किया है जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहभागी संस्थाओं/राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों संगठनों का ब्यौरा तथा उनकी भूमिका क्या है; और

(छ) सरकार तथा अन्य संगठनों द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स को इसके शुरू होने से लेकर अब तक प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

(घ) और (ड.): संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना सरकार, कारपोरेट संस्थाओं और अन्य हितधारकों के बीच मूल्य संवर्धन भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए 'विचारक मंडल', कार्य अनुसंधान, सेवा सुपुर्दगी और क्षमतानिर्माण संस्थान के साथ-साथ वन-स्टॉप-शोप के रूप में की गई है। संस्थान ने सितंबर, 2008 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे (i) इसके पांच स्कूल और चार सेंटर चालू हो गए हैं; (ii) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा अकादमी शुरू हो गई है और इसमें वर्ष 2010 से भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है; (iii) यह संस्थान कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित मुद्दों जैसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व, कारपोरेट शासन, कंपनी निदेशकों की भूमिका, स्वतंत्र निदेशकों, प्रतिस्पर्धा मुद्दों आदि पर विभिन्न पाठ्यक्रम, सेमीनार, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गया है। इन कार्यक्रमों का लाभ अधिकारी और अन्य हितधारक, प्राइवेट के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, निवेशक आदि उठा रहे हैं; (iv) संस्थान ने प्रासंगिक मुद्दों पर अनुसंधान किया है तथा अनेक प्रकाशन भी निकाले हैं।

(च): आईआईसीए ने विदेशी संस्थानों नामत: जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल, यूएसए; जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन; इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, यूके और इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, यूएसए के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, आईआईसीए ने देश अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरू, द एनर्जी एंड रिसॉर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज आदि के साथ 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य भागीदार संस्थानों से लाभ लेकर एक समग्र विचारक मंडल, क्षमतानिर्माण, सेवा सुपुर्दगी और प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

(छ): आईआईसीए परियोजना 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के तहत 211 करोड़ रुपए के बजट आबंटन के साथ एक प्लान योजना के रूप में शुरू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) में इसे 110 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

*****